


दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14/6/19	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलाण्ट अधिवक्ता उप०। उतरदातागण अनु०।</p> <p>अपीलाण्ट ने इस आशय की अपील प्रस्तुत की है कि अपीलाण्ट व उतरदाता संख्या 2 से संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 391/198 रकबा 17.18 बीघा भूमि मौजा-मौखाब खुर्द, पटवार मण्डल मौखाब, तह० शिव मे आई हुई है।</p> <p>अपीलाधीन भूमि अपीलाण्ट एवं उतरदाता संख्या 2 के उनके पिता खीमराज से विरासत में प्राप्त हुई है लेकिन अपीलाण्ट व उतरदाता संख्या 2 के पिता खीमराज के फौतगी के विरासती नामान्तरकण 245 को राजस्व कर्मचारीयो ने अपीलाण्ट को बिना सुने अपीलाण्ट के वास्तविक नाम सम्पतराज के स्थान पर उतरदाता संख्या 2 के साथ मामद दर्ज किया जो गलत होने से उक्त नामान्तरकण 245 खारिज किया जाकर उनके स्थान पर अपीलाण्ट का वास्तविक नाम सम्पतराज दर्ज किया जावे।</p> <p>अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर उतरदातागण को जरीये सम्मन तलब किये गये। साथ तहसीलदार शिव से उक्त अपील से संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की तथा अपीलाण्ट की अपील के समर्थन में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमांबंदी, स्थानान्तरण पत्रक, आधार कार्ड, पेन कार्ड व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये।</p> <p>हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा तहसीलदार शिव की तथात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमें अपीलाण्ट का वास्तविक नाम सम्पतराज है।</p> <p>लिहाजा अपीलान्ट की अपील स्वीकार कि जाकर मौजा-मौखाब खुर्द, पटवार मण्डल मौखाब, तह० शिव के खसरा नम्बर 391/198 रकबा 17.18 बीघा भूमि में उतरदाता संख्या 1 द्वारा पारित नामान्तरकण 245 खारिज किया जाता है। साथ ही प्रकरण तहसीलदार शिव को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलाधीन आराजी के संबंध में अपीलाण्ट का सही नाम सम्पतराज होने के संबंध में पुनः जांच करते हुए नये सिरे से नामान्तरकण पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 14.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 शिव, जिला बाड़मेर

